पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में
2016 का आपराधिक विविध No.19877

पीएस मामला No.-88 वर्ष-2006 थाना-सी. बी. आई. मामला जिला-पटना, से उत्पन्न

==========

कृष्ण मुरारी, श्री हरदेव प्रसाद महतो के पुत्र, गाँव-सुंदरपुर, पी. ओ.-बहा चौकी, पी. एस./थाना-धारहरा, जिला-मुंगेर के निवासी ।

....याचिकाकर्ता/गण

बनाम

सतर्कता जांच ब्यूरो के माध्यम से बिहार राज्य

....विपरीत पक्ष/पक्षों

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री संजीत कुमार, अधिवक्ता

सतर्कता विभाग के लिए : श्री अनिल सिंह, अधिवक्ता

==========

दंड प्रक्रिया संहिता---धारा 482, 239---भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम---धारा 19---अभियोजन स्वीकृति की वैधता---आक्षेपित आदेशों को रद्द करने की याचिका जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल उन्मोचन याचिका को खारिज कर दिया गया था और उसके खिलाफ आरोप तय किए गए थे---याचिकाकर्ता के खिलाफ अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए रिश्वत मांगने और स्वीकार करने का आरोप है---सत्यापन रिपोर्ट, प्री-ट्रैप ज्ञापन, पोस्ट-ट्रैप ज्ञापन और जब्ती ज्ञापन कथित अपराधों को प्रथम दृष्टया आकर्षित करने के लिए पर्याप्त हैं---जहां तक अभियोजन स्वीकृति की वैधता का सवाल है, ट्रायल कोर्ट इसकी जांच करेगा क्योंकि इसके लिए सभी प्रासंगिक तथ्यों की जांच की आवश्यकता है, जैसे कि, स्वीकृति आदेश जारी करते समय विधि विभाग द्वारा जिन सामग्रियों पर विचार किया गया था और सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा स्वीकृति आदेश जारी न करने के कारण याचिकाकर्ता को होने वाला पूर्वाग्रह, जिसे सक्षम प्राधिकारी कहा जाता है---आक्षेपित आदेश में

कोई अवैधता नहीं है--- यद्यपि अभियोजन स्वीकृति की वैधानिकता का प्रश्न मुकदमे में अंतिम बहस के स्तर पर तय किया जा सकता है, लेकिन जब ऐसा प्रश्न प्रारंभिक चरण में संज्ञान लेने या आरोप तय करने के समय उठाया जाता है, तो ऐसे मुद्दे को लंबे समय तक लंबित नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि यदि अंतिम बहस के समय ऐसे मुद्दे का निर्णय अभियुक्त के पक्ष में किया जाता है, तो इससे अभियुक्त को गंभीर नुकसान हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप तकनीकी आधार पर अभियुक्त को बरी कर दिया जा सकता है, जबकि यह मुद्दा प्रारंभिक चरण में उठाया गया था----ट्रायल कोर्ट को याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए स्वीकृति की वैधानिकता के प्रश्न पर यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से अगले छह महीनों के भीतर निर्णय करने का निर्देश दिया जाता है---याचिका खारिज की जाती है।

(पैरा 8, 9)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

==========

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक आदेश

14 28-01-2025

रीः 2024 का आई. ए. सं. 1

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री संजीत कुमार और सतर्कता विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अनिल सिंह को सुना।

2. शुरुआत में, याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील

तत्काल अंतर्वर्ती आवेदन को दबाता है जिसमें उसने याचिकाकर्ता के अतिरिक्त अनुरोध के साथ मुख्य याचिका पर निर्णय लेने के लिए अनुरोध किया है ताकि पटना के विद्वान विशेष न्यायाधीश सतर्कता (ट्रैप) की अदालत द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जा सके, जिसके द्वारा निचली अदालत/विचारण न्यायालय ने उस पर आरोप तय किए हैं।विद्वान वकील तत्काल आई. ए. में की गई प्रार्थना को उसी रद्द करने वाली याचिका के हिस्से के रूप में मानने के लिए प्रार्थना करते हैं।

3. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने के साथ-साथ इस आवेदन में किए गए कथनों को देखने के बाद, मुख्य प्रार्थना और उपरोक्त अतिरिक्त प्रार्थना के संबंध में मुख्य याचिका पर निर्णय लिया जा रहा है।

4. परिणामस्वरूप, 2024 का आई. ए. सं. 1 स्वीकृत है।

रीः 2016 का आपराधिक विविध संख्या 19877

5. तत्काल याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 (संक्षेप में 'Cr.P.C.') के तहत दायर की गई है, जिसमें दिनांकित 01.03.2016 आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता की Cr.P.C की धारा 239 के तहत आरोपमुक्त करने की प्रार्थना को विशेष न्यायाधीश सतर्कता (ट्रैप), पटना द्वारा 2006 के सतर्कता मामला संख्या 88 से उत्पन्न 2006 के विशेष मामले संख्या 29 में खारिज कर दिया गया है।याचिकाकर्ता ने आगे निचली अदालत द्वारा पारित दिनांकित 12.05.2016 आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है जिसके द्वारा उस पर आरोप तय किए गए हैं।

6. उपरोक्त विवादित आदेशों पर हमला करने के लिए,

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री संजीत कुमार ने मुख्य रूप से तीन आधार लिए हैं, पहला, सूचना देने वाले/शिकायतकर्ता द्वारा लगाया गया आरोप, अर्थात्, चोहरिया देवी पूरी तरह से अविश्वसनीय है क्योंकि शिकायतकर्ता 65 वर्ष से अधिक आयु की एक बूढ़ी महिला है, इसलिए वह आशा कार्यकर्ता के पद पर कथित रोजगार पाने की हकदार नहीं थी, इसलिए, मुख्य रूप से इस आधार पर, इस याचिकाकर्ता द्वारा सह-अभियुक्त के माध्यम से रिश्वत मांगने और रिश्वत लेने से संबंधित पूरे अभियोजन पक्ष का आरोप शिकायतकर्ता की पात्रता के पक्ष में एक रिपोर्ट देने के बदले में है, पूरी तरह से अविश्वसनीय है । और शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता को परेशान करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से अपनी शिकायत दर्ज कराई, जो उस समय खंड विकास अधिकारी था।दूसरा, निचली अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संक्षेप में 'पी. सी. अधिनियम') के तहत दंडनीय कथित अपराधों का संज्ञान लेते हुए दोषपूर्ण अभियोजन मंजूरी पर भरोसा किया क्योंकि कहा जाता है कि यह कानून विभाग द्वारा जारी किया गया है न कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो पी. सी. अधिनियम की धारा 19 के प्रावधान का पूर्ण उल्लंघन है क्योंकि याचिकाकर्ता के रोजगार के संबंध में नियुक्ति/सक्षम प्राधिकारी बिहार सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग है जिसने मंजूरी जारी नहीं की है जिस पर अभियोजन पक्ष भरोसा कर रहा है।याचिकाकर्ता के वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने निचली अदालत के समक्ष अभियोजन मंजूरी जारी करने में सरकार की ओर से अवैधता का मुद्दा उठाया, जब उसने Cr.P.C की धारा 239 के तहत अपनी प्रार्थना पर जोर दिया, लेकिन मंजूरी की वैधता की निचली अदालत द्वारा जांच नहीं की गई और उक्त मुद्दे को लंबित रखा गया है।जबकि कानून के तय किए गए

सिद्धांत के अनुसार, तीन चरण हैं जब पी. सी. अधिनियम के अपराधों के संबंध में अभियुक्त द्वारा मंजूरी की वैधता के संबंध में सवाल उठाया जा सकता है, पहला, संज्ञान लेते समय, दूसरा, आरोप की रचना के समय और तीसरा, अंतिम तर्क के चरण में।हालांकि इनमें से किसी भी चरण में मंजूरी की वैधता के संबंध में सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन जब ऐसा मुद्दा उठाया जाता है, तो निचली अदालत इसे लंबे समय तक लंबित रखे बिना मंजूरी की वैधता पर जल्द से जल्द फैसला करने के लिए बाध्य होती है।इस निवेदन के समर्थन में, विद्वान वकील ने कर्नाटक राज्य लोकायुक्ता पुलिस बनाम एस. सुब्बेगौड़ा , 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 911 में रिपोर्ट की गई, के मामले में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा है। उक्त निर्णय का संबंधित अनुच्छेद सं '10', जिस पर निर्भरता रखी गई है, निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

> *"**10**. उक्त अधिनियम की धारा 19 में निहित पूर्व-वर्णित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कानून धारा 19 (1) के खंड (ए), (बी) और (सी) के संदर्भ में ऐसी मंजूरी देने के लिए सक्षम सरकार/प्राधिकरण की पूर्व मंजूरी के अलावा किसी लोक सेवक के खिलाफ न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने से मना करता है। कानून का यह भी अच्छी तरह से तय प्रस्ताव है कि इस तरह की मंजूरी की वैधता के संबंध में सवाल कार्यवाही के शुरुआती चरण में उठाया जाना चाहिए, हालांकि मुकदमे के बाद के चरण में भी उठाया जा सकता है।हमारी राय में, कार्यवाही के वे चरण जिन पर एक अभियुक्त मंजूरी की वैधता के संबंध में मुद्दा उठा सकता है, वह चरण होगा जब न्यायालय अपराध का संज्ञान लेगा, वह चरण जब न्यायालय द्वारा आरोप तय किया जाना है या उस चरण में जब मुकदमा/विचारण पूरा हो जाता है, यानी मुकदमे/विचारण में अंतिम दलीलों के चरण में।बेशक, इस तरह के मुद्दे को अदालत के समक्ष अपील, संशोधन या*

पुष्टि में उठाया जा सकता है, हालांकि ऐसे अदालत की शक्तियां उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के अधीन होंगी। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त पर मुकदमा चलाने की अदालत की क्षमता भी मंजूरी की वैधता के अस्तित्व पर निर्भर करेगी, और इसलिए मंजूरी की वैधता के मुद्दे को जल्द से जल्द उठाना हमेशा वांछनीय है।यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि मंजूरी अमान्य पाई जाती है, तो निचली अदालत आरोपी को आरोपमुक्त कर सकती है और पक्षों को उस स्तर पर भेज सकती है जहां सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार अभियोजन के लिए नई मंजूरी दे सकता है।"

तीसरा, जाँच अधिकारी छापा मारने वाले दल का सदस्य था, इसलिए उसके द्वारा की गई पूरी जाँच दूषित हो गई।इस निवेदन के समर्थन में, विद्वान वकील ने इस मामले में पारित इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा है, जो **घनश्याम मिश्रा बनाम बिहार राज्य ने (2010) 1 पीएलजेआर 925 में** रिपोर्ट किया गया था। पटना उच्च न्यायालय सी. आर. एमआईएससी। 2016 (14) का No.19877 दिनांक। उक्त निर्णय का सुसंगत पैरा सं. 15, जिस निर्णय पर निर्भरता रखी गई है, उसे निम्नानुसार दोहराया जा रहा हैः

"15. इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता कि आपराधिक मुकदमे में निष्पक्षता का पालन करने और पक्षपात को रोकने के लिए, जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और किसी भी पक्षपातपूर्ण रवैये से रहित होनी चाहिए।इस कारण से, अदालतों ने लगातार स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से जांच की मांग की है क्योंकि अदालत का उद्देश्य पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर न्याय करना है।वर्तमान मामले में, यह देखा गया है कि पीडब्लू 8 और पीडब्लू 14, दोनों जांच अधिकारी भी छापा मारने वाले दल के सदस्य थे।मेरी राय में, प्रत्येक मुकदमे का अंत किसी न किसी तरह से आरोपी को दोषी ठहराने के लिए नहीं है, बल्कि यह

देखने के लिए है कि क्या आरोपी पर न्यायोचित रूप से आरोप लगाया गया है या नहीं।वर्तमान मामले में, एक बार जब जांच अधिकारी स्वयं मांग और स्वीकृति के सत्यापन के तथ्य में पक्षकार बन जाते हैं, तो मुझे यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि ऐसे अधिकारी उस पक्ष के पक्ष में झुकने के लिए बाध्य हैं जिसका वे भी हिस्सा हैं।इन परिस्थितियों में, मेरी राय में, मांग और वसूली के सत्यापन के तथ्य पर वर्तमान मामले में जांच अधिकारियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।इस पृष्ठभूमि में, जब मैं पी. डब्ल्यू. 6 राज कुमार रॉय, छाया गवाह, पी. डब्ल्यू. 11 रामनाथ साह, शिकायतकर्ता और पीडब्लू 9 अभय कुमार मिश्रा, छापा मारने वाले दल के एक निरीक्षक, के साक्ष्य का मूल्यांकन करता हूं, मैंने पाया कि उस स्थान पर तथ्यात्मक विरोधाभास है जहाँ मांग की गई थी और साथ ही जहाँ रिश्वत का पैसा बरामद किया गया था। गवाहों की पक्षपातपूर्ण प्रकृति और साक्ष्य में विरोधाभास की पृष्ठभूमि में, प्रदर्श-ए, ए/1 और बी द्वारा मामले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू उजागर करने योग्य है।इन दस्तावेजों से पता चलता है कि अपीलार्थी ने 23.02.1996 पर अपना आधिकारिक कार्य किया था, जो संभव नहीं है यदि रिश्वत की मांग, स्वीकृति और वसूली की घटना वास्तव में 21.02.1996 पर हुई थी। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट 21.2.96 पर ही दर्ज की जाती और अपीलार्थी को उक्त तिथि पर रिमांड पर भेज दिया जाता, तो यह अदालत यह निष्कर्ष निकाल सकती थी कि बचाव दस्तावेज प्राप्त किए गए थे, लेकिन वर्तमान मामले में, मैं पाता हूं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्तमान अपीलार्थी के साथ केवल 24.02.1996 को अदालत में पहुंची, जो बचाव पक्ष की संभावना को दर्शाती है कि अपीलार्थी 23.2.96 को काम कर रहा हो सकता था, इस प्रकार अभियोजन पक्ष के मामले को ध्वस्त कर देता है कि घटना 21.2.96 पर हुई थी।"

7. दूसरी ओर, सतर्कता विभाग की ओर से पेश विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि आशा कार्यकर्ता के पद पर शिकायतकर्ता की पात्रता के संबंध में जांच दिखाने के लिए पर्याप्त दस्तावेजी सबूत हैं। जो याचिकाकर्ता के

समक्ष लंबित है, इसलिए याचिकाकर्ता की याचिका कि याचिकाकर्ता के लिए शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगने का कोई कारण मौजूद नहीं है, विश्वसनीय नहीं है।जहाँ तक अभियोजन पक्ष की मंजूरी की वैधता का संबंध है, मंजूरी का आदेश संबंधित सामग्री की जांच करने के बाद एक उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया था, हालाँकि, यह मुकदमे/विचारण का विषय है और इसकी वैधता की जांच निचली अदालत/विचारण न्यायालय द्वारा मुकदमे/विचारण के समापन से पहले किसी भी स्तर पर ही की जा सकती है।उनके द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच अधिकारी, विजय कुमार श्रीवास्तव, उप पुलिस अधीक्षक, सतर्कता, पटना, ट्रैप टीम के सदस्य नहीं थे, जो पोस्ट और ट्रैप से पहले के ज्ञापन से काफी स्पष्ट है, इसलिए, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा गलत बयान दिया गया है।

8. दोनों पक्षों को सुना और विवादित आदेश और अन्य प्रासंगिक सामग्रियों का अध्ययन किया।शिकायतकर्ता चोहरिया देवी की आशा कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति के लिए पात्रता के संबंध में जांच दिखाने के लिए पर्याप्त दस्तावेजी सबूत हैं जो याचिकाकर्ता के समक्ष प्रासंगिक समय के दौरान लंबित है जो अभियोजन पक्ष के आरोप के पक्ष में जाता है कि याचिकाकर्ता के पास शिकायतकर्ता के पक्ष में रिपोर्ट देने के लिए शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगने का कारण है। शिकायतकर्ता के आरोप शुरू में एक सहायक उप-निरीक्षक द्वारा सत्यापित किया गया, जिसने आरोपों में तथ्य खोजने के लिए एक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस आधार पर, एक ट्रैप टीम का गठन किया गया और आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, ट्रैप टीम द्वारा याचिकाकर्ता के आवास पर छापा मारा गया और अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, रु. 2,000/- (दो हजार रुपये) जो याचिकाकर्ता की ओर से

याचिकाकर्ता के नौकर, सह-अभियुक्त वकील साओ द्वारा लिया गया था, याचिकाकर्ता के बिस्तर पर रखे गए रजिस्टर से बरामद किया गया था और जब्त किए गए नोटों के क्रम संख्या उन नोटों के क्रम संख्या से मेल खाते थे जो पूर्व-ट्रैप ज्ञापन में उल्लिखित थे और जब सह-अभियुक्त के हाथ धोए गए थे, तो यह ट्रैप के बाद के ज्ञापन कार्यवाही के अनुसार गुलाबी हो गया था।इन प्रासंगिक तथ्यों के संबंध में, सत्यापन रिपोर्ट, ट्रैप से पहले का ज्ञापन, ट्रैप के बाद का ज्ञापन और जब्ती ज्ञापन प्रासंगिक हैं, जिनका विवरण राज्य द्वारा जवाबी हलफनामे में दिया गया है।इस न्यायालय का विचार है कि ये सामग्री प्रथम दृष्टया कथित अपराधों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त हैं।जहां तक अभियोजन की मंजूरी की वैधता का संबंध है, निचली अदालत/विचारण न्यायालय इसकी जांच करेगी क्योंकि इसके लिए सभी प्रासंगिक तथ्यों की जांच की आवश्यकता है, जैसे कि मंजूरी आदेश जारी करते समय कानून विभाग द्वारा जिन सामग्रियों पर विचार किया गया था और सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा मंजूरी/स्वीकृति आदेश जारी न करने के कारण याचिकाकर्ता को होने वाले पूर्वाग्रह, जिसे सक्षम प्राधिकारी कहा जाता है। तदनुसार, यह न्यायालय विवादित आदेश में कोई अवैधता नहीं पाता है और इस आवेदन में कोई योग्यता नहीं है, इसलिए इसे खारिज कर दिया जाता है।

9. चूंकि याचिकाकर्ता ने निचली अदालत/विचारण न्यायालय के समक्ष सी. आर. पी.सी. की धारा 239 के तहत अपनी प्रार्थना को प्रस्तुत करते समय मंजूरी/अनुमति आदेश की वैधता का मुद्दा उठाया है और याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार आठ साल से अधिक की अवधि बीतने के बाद भी आज तक इसका फैसला नहीं किया गया है, हालांकि अभियोजन मंजूरी की वैधता का सवाल/प्रश्न मुकदमे/विचारण में अंतिम तर्क के चरण में

तय किया जा सकता है, लेकिन जब ऐसा सवाल प्रारंभिक चरण में उठाया जाता है, तो संज्ञान लेने या आरोप तैयार करने के समय, ऐसे मुद्दे को लंबे समय तक लंबित नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि यदि अंतिम बहस के समय अभियुक्त के पक्ष में इस तरह के मुद्दे का फैसला किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रारंभिक चरण में उठाए जाने के बावजूद तकनीकी आधार पर अभियुक्त को बरी/दोषमुक्त कर दिया जाता है, आरोपी को गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है ।इस प्रकार, निचली अदालत/विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई मंजूरी की वैधता के सवाल/प्रश्न पर इस अदालत के आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से अगले छह महीनों में जल्द से जल्द निर्णय ले।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

अन्नु/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।